

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-01/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
सोजती गेट जोधपुर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी रवीन कुमार

- भगवान सिंह पुत्र मूलचंद
कालूराम जी बाओरी, सूरसागर एरिया,
ग्राम बागा, जोधपुर
- भावना पत्नी भगवान सिंह
कालूराम जी बाओरी, सूरसागर एरिया,
ग्राम बागा, जोधपुर
- कल्याण सिंह पुत्र कान्हाराम परिहार
178, कमला नेहरू नगर, बंगाली
क्वार्टर के सामने जोधपुर



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :-18.03.2024

1-करण सिंह चौहान अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी पक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण भगवान सिंह पुत्र मूलचंद व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 15,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण भगवान सिंह की जायदाद कालूराम जी बाओरी, सूरसागर एरिया, ग्राम बागा, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1086 वर्गफीट, जिसके उत्तर में प्लॉट नं. 705/16-ए, दक्षिण में श्री कुंदनमल बब की संपत्ति, पूर्व में गली, पश्चिम में गली आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा

Page 1 of 2

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 31.10.2022 तक 15,09,235.77 /रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 15,00,000/- मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.10.2022 तक 15,09,235.77 /रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्विराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्विरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद भगवान सिंह की जायदाद कालूराम जी बाओरी, सूरसागर एरिया, ग्राम बागा, जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1086 वर्गफीट. जिसके उत्तर में प्लाट नं. 705/16-ए, दक्षिण में श्री कुंदनमल बब की संपत्ति, पूर्व में गली, पश्चिम में गली आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)